



उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम

योजना और पाठ्यक्रम

❖ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा पात्रता मानदंड:

- आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से **LL.B** पूरा करना होगा।
- आयु सीमा- (22-35) वर्ष होनी चाहिए, आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट होगी।

❖ चयन प्रक्रिया:

- प्रारंभिक परीक्षा
 - मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा)
 - साक्षात्कार
- परीक्षा पैटर्न इस प्रकार होगा:

प्रारंभिक परीक्षा

- प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का संकलन बहुविकल्पीय होगा।
- प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे,
- प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे होगी,
- पेपर -1 - सामान्य अध्ययन
- पेपर-2- विधि

- पेपर-1 सामान्य अध्ययन (150 अंक, 2 घंटे)



- भारत का इतिहास भारतीय संस्कृति,
- भारत का भूगोल, – भारतीय राजव्यवस्था,

- वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे
- सामाजिक प्रासंगिकता के विषय,
- भारत और दुनिया,
- भारतीय अर्थव्यवस्था,
- अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
- संचार और अंतरिक्ष

❖ **पेपर- 2 विधि (300 अंक, 2 घंटे)**

- समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय मामले,
- भारतीय संविधान,
- संपत्ति अन्तरण अधिनियम-1882
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता
- सिविल प्रक्रिया संहिता,
- दंड प्रक्रिया संहिता,
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

मुख्य परीक्षा

- मुख्य परीक्षा में छह प्रश्न पत्र होंगे,
- इसके अलावा 100 अंकों का साक्षात्कार भी होगा।

प्रश्नपत्र संख्या	विषय का नाम	अधिकतम अंक	समय
1	सामान्य अध्ययन	200	3 घंटे
2	अंग्रेजी भाषा	100	--
3	हिंदी-भाषा	100	--
4	विधि (LAW) I - मौलिक विधि	200	3 घंटे
5	विधि (LAW) II - प्रक्रिया एवं साक्ष्य	200	3 घंटे
6	विधि (LAW) III -दंड, राजस्व एवं स्थानीय विधियां	200	3 घंटे

प्रश्न पत्र -1 सामान्य अध्ययन : (200 अंक)

- भारत और भारतीय संस्कृति का इतिहास,
- भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति,
- वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और सामाजिक प्रासंगिकता के विषय,
- भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था,
- अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान और
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
- संचार और अंतरिक्ष

❖ प्रश्न पत्र -2 अंग्रेजी -भाषा: (100 अंक):

- निबन्ध (50 अंक)
- सारांश लेखन । (30 अंक)
- हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद (20 अंक)

❖ प्रश्न पत्र -3 हिंदी-भाषा : (100 अंकों)

- निबन्ध (50 अंक)
- सारांश लेखन । (30 अंक)
- अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद (20 अंक)

❖ प्रश्न पत्र -4 विधि -I - मौलिक विधि: (200 अंकों)

- भारतीय संविदा अधिनियम,
- भारतीय भागीदारी अधिनियम,
- इक्विटी के सिद्धांतों सहित संपत्ति अन्तरण अधिनियम से जुड़ा कानून,
- ट्रस्ट के कानून के विशेष संदर्भ में इक्विटी का सिद्धांत
- विशिष्ट राहत अधिनियम,
- हिंदू विधि,
- मुस्लिम विधि,
- संवैधानिक विधि,

❖ प्रश्न पत्र -5 विधि -II - प्रक्रिया एवं साक्ष्य: (200 अंक)

- दंड प्रक्रिया संहिता,
- सिविल प्रक्रिया संहिता,
- साक्ष्य विधि,

❖ प्रश्न पत्र -6 विधि -III - दंड, राजस्व एवं स्थानीय विधियां: (200 अंकों)

- भारतीय दंड संहिता,
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,
 - उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,
 - उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम,
 - उत्तर प्रदेश शहरी (योजना और विकास) अधिनियम 1973,
 - उपरोक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के साथ।
- ❖ दण्ड विधियों के प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंक के होंगे।

मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार)

- ❖ लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए 100 अंक होंगे।